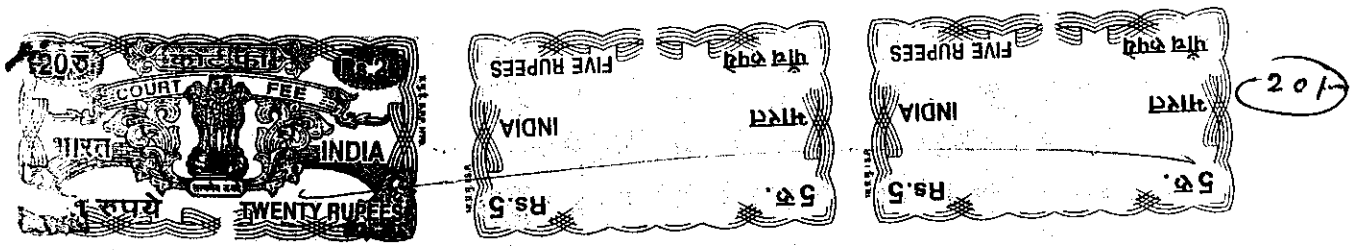

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

Reg - 2662-I/15

1. लक्ष्मी तनय भगवानदास लुहार
2. मनमोहन तनय भगवानदास लुहार
3. हरगोविन्द तनय भगवानदास लुहार

तीनों निवासी– ग्राम–पलेरा, तह. पलेरा वार्ड नंबर 13, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.) .....आवदेकगण

//विरूद्ध//

1. मु. जशोदाबाई पुत्री तिजन अहिरवार
2. छिदामी, घमण्डी तनय हरप्रसाद कुम्हार
3. शिविन्द्र कुमार तनय रघुवीर सहारा
4. उमेश तनय राजाराम गुप्ता
5. सुशील तनय बिहारीलाल गुप्ता
6. कन्हैयालाल तनय मथुरा प्रसाद यादव
7. सरमन तनय जुग्गा पटैरिया
8. देवेन्द्र तनय बालचंद पटैरिया

समस्त निवासीगण पलेरा जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.) .....अनावेदकगण

पुनः अवलोकन आवेदन अंतर्गत् धारा–51 म.प्र.रा.स.

उपरोक्त आवेदक श्रीमान न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निग./2464–I/15 में पारित आदेश दिनांक 04–08–2015 से परिवेदित होकर यह पुनः अवलोकन आवेदन निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि श्रीमान न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 518/बी121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31.07.15 जिसमें आवेदकगण के पक्ष में जारी स्थगन आवेदन पत्र की अवधि बढ़ाई जाकर पुनः स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध अनावेदकगणों द्वारा निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जो ग्राह्य योग्य न पाते हुए निरस्त तो कीगई है किन्तु अनावेदकगणों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के

vix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ————

प्रकरण कमांक 2662–एक/2016 पुनरावलोकन **जिला टीकमगढ़**

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-11-16	न्यायालय के प्रकरण कमांक 2464–एक/2015 में पारित आदेश दिनांक 4–8–15 के विरूद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 31–7–15 से उनके पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया है जिसके विरूद्व अनावेदकगण ने इस न्यायालय में निगरानी कमांक 2464–एक/2015 प्रस्तुत की है एंव आदेश दिनांक 4–8–15 से अपर आयुक्त व्दारा जारी स्थगन निरस्त करते हुये तीन माह में प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये है किन्तु जैसे ही अपर आयुक्त का स्थगन निरस्त किया गया है अनावेदकगण ने मौके पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है जिसके कारण आवेदकगण को गंभीर क्षति होने की संभावना है इसलिये आदेश दिनांक 4–8–15 संशोधित किया जाय। 4/ प्रकरण कमांक 2464–एक/2015 में पारित आदेश दिनांक 4–8–15 के पुनरावलोकन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि आदेश दिनांक 4–8–15 से अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर को निर्देश दिये गये हैं कि वह प्रकरण का निराकरण तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कर दें। आदेश दिनांक 4–8–15 को व्यतीत हुये एक वर्ष तीन माह से अधिक समय हो चुका है एंव आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 4–8–15 के पालन में अपर आयुक्त ने क्या निर्णय लिया है। आदेश दिनांक	

प्र0क0 2662–एक/2016 पुनरावलोकन

4–8–15 के पुनरावलोकन हेतु आवेदकगण की ओर से जो आधार बताये गये हैं उनमें से संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु जो आधार दिये गये हैं – आधार समाधान–कारक नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से अमान्य किया जाता है। प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जाय।

सदस्य